## देहली हिन्दुस्तानी मर्कन्टाइल एसोसिएशन (रजि०) के :: उद्देश्य ::

- 01. कपड़े के व्यापार को विशेषतया देहली तथा देहली के बाहर प्रगतिशील बनाने के लिए यथोचित प्रबन्ध करना और व्यापार को उन्नत बनाने के लिए नियम बनाना और उसको कार्य रूप में परिणित करना।
- 02. एसोसिएशन के सदस्यों के लिए देहली और देहली के बाहर के व्यापारियों व मिलों के साथ व्यापार करने के लिए नियम बनाना और व्यापार एवं लेन-देन के झगड़ों को तय करना और नियमों का उल्लघंन करने वालों के विरूद्ध उचित कार्यवाही करना।
- 03. व्यापारिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त करना और उनको सुरक्षित रखना।
- 04. अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए दूसरी संस्थाओं के साथ संबंध जोड़ना और आवश्यकतानुसार उनका सहयोग प्राप्त करना और उनसे पृथक होना।
- 05. व्यापार की उन्नित के लिए ब्याज, बट्टा व आढ़त इत्यादि की दर नियत करना, नियम बनाना व उनको रद्द करना।
- **06.** सदस्यों में परस्पर संगठन स्थापित करना तथा व्यापारिक व लेनदेन के विवाद को तय करना।
- **07.** व्यापार की उन्नित और रक्षा के लिए केन्द्र, राज्य, स्थानीय सरकार, सभी प्रकार के सरकारी, अर्ध-सरकारी, निगम, संस्थान, रेलवे, नगर निगमों, नगरपालिकाओं, तारघर व डाकखाने, दूरभाष-विभाग, विद्युत प्रदाय, सभी के स्थानीय, राज्य व केन्द्रीय कर अधिकारियों, अधिकरणों, व्यवस्थापकों, बैंकों, बीमा निगम-कम्पनियों, यातायात, परिवहन, उत्पादक तथा अन्य सभी संस्थाओं के आवश्यकतानुसार पत्र व्यवहार करना, प्रतिनिधि भेजना और अधिकार व प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए यथोचित कार्यवाही

## करना।

- **08.** एसोसिएशन के समस्त प्रबन्ध के लिए प्रबन्धकारिणी सिमिति तथा उप-सिमितियां नियुक्त करना एवं व्यापार और लेनदेन से संबंध रखने वाले झगड़ों का निर्णय करने के लिए पंचों को नियुक्त करना, पंच-पैनल नियुक्त करना और पंचों तथा पंच-पैनल के सदस्यों को हटाना या तब्दील करना।
- 09. एसोसिएशन के सदस्यों में और व्यापार के हित में अधिक से अधिक प्रयत्नशील रहना और आवश्यकतानुसार सहकारी प्रणाली के द्वारा कार्य करना या कराना।
- 10. एसोसिएशन के सदस्यों के लिए तथा कपड़ा मंडी से संबंधित व्यक्तियों के लिए सहकारिता प्रणाली द्वारा व्यापारिक व रिहायशी भवन-निर्माण करना या कराना और ऐसे कार्यों को तथा अन्य व्यापारिक कार्यों की सहकारिता प्रणाली से समुचित व्यवस्था करना या कराना।
- 11. व्यापारिक औद्योगिक और सामाजिक उन्नित के लिए प्रयत्नशील रहना, इसके लिए अधिकार प्राप्त करना व सुरक्षित रखना।